भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 999

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मई, 2016 को दिया गया)

सीएसआर के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

999. श्री शान्ताराम नायक:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट/कंपनियों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अतंर्गत धनराशि के आबंटन हेतु कोई दिशानिर्देश विहित किए है;
(ख) उक्त योजना को प्रमुख विशेषताएं क्या है और क्या दिशानिर्देश विहित कि गए है; और
(ग) विगत एक वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): कोई सामाजिक दायित्व स्कीम नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का एक उपबंध है। अधिनियम की अनुसूची-VII में उनको कार्यकलापों की सूची दी गई है जिन्हें कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीतियों के अधीन चलाया जा सकता है; और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में उस रीति का उपबंध है जिसके अनुसार पात्र कंपनियां अधिनियम के सीएसआर उपबंध का अनुपालन कर सकती हैं। धारा 135, अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 दिनांक 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए थे और 01 अप्रैल, 2014 से लागू हुए थे। इन उपबंधों के विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mca.gov.in) पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। सीएसआर उपबंध की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- विनिर्दिष्ट न्यूनतम कारोबार अथवा निवल मूल्य अथवा निवल लाभ से ऊपर की कंपनियों के लिए पिछले तीन लगातार वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करना अपेक्षित है;
- ऐसी प्रत्येक कंपनी के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करना अपेक्षित है;
- ऐसी प्रत्येक कंपनी के बोर्ड के लिए कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करना और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करना अपेक्षित है;
- ऐसी कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% सीएसआर पर व्यय किया गया है;

- बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक विवरण शामिल होगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में विनिर्दिष्ट ब्यौरे शामिल होंगे;
- बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट राशि व्यय नहीं करने के कारण बताए जाएंगें, यदि कंपनी ऐसी राशि व्यय करने में विफल रहती है।

(ग): सीएसआर व्यय करने वाली 460 कंपनियों का सीएसआर व्यय, जिन्होंने उनकी वेबसाइट पर अपना वार्षिक प्रतिवेदन रखा है, वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर पर कुल 6337 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है -

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय	अधिदेशित सीएसआर व्यय
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	51	2386.60	3359.84
2	निजी क्षेत्र कंपनियां	409	3950.76	4987.63
	योग	460	6337.36	8347.47

*****